पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश

प्रदेश में 67.50 लाख बुजुर्गों को मिल रही वृद्धावस्था पेंशन, जौनपुर जनपद अव्वल

प्रदेश के सभी 75 जिलों में 1000 रुपये प्रतिमाह की दर से मिल रहा लाभ

टॉप–10 जिलों का सराहनीय योगदान, समाज कल्याण विभाग तेजी से चला रहा सत्यापन प्रक्रिया

लखनऊ : 05 नवम्बर, 2026

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाज कल्याण विभाग के माध्यम से प्रदेश के लाखों बुजुर्गों को निरंतर सहायता प्रदान की जा रही है। वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत राज्य के सभी 75 जिलों में कुल 67,50,000 (67.50 लाख) पात्र लाभार्थियों को प्रतिमाह 1000 रुपये की दर से पेंशन दी जा रही है।

पेंशन वितरण की इस व्यवस्था में प्रदेश के विभिन्न जनपदों द्वारा उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है। कुल 2,24,345 पेंशनर्स के साथ जौनपुर जिला सूची में सबसे आगे है। वहीं, 1,97,129 लाभार्थियों के साथ आजमगढ़ दूसरे और 1,72,917 पेंशनर्स के साथ गोरखपुर तीसरे स्थान पर अपनी जगह बनाए हुए है।

पेंशन वितरण में प्रदेश के टॉप–10 जनपद– जौनपुर (2,24,345), आजमगढ़ (1,97,129), गोरखपुर (1,72,917), गाजीपुर (1,69,161), हरदोई (1,69,105), बलिया (1,68,241), प्रयागराज (1,67,536), प्रतापगढ़ (1,61,656), कुशीनगर (1,59,964), अम्बेडकर नगर (1,50,835)

इन शीर्ष 10 जनपदों ने अधिक से अधिक पात्र वृद्धजनों तक सहायता का लाभ पहुंचाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

प्रदेश सरकार बुजुर्गों की सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा को लेकर बेहद संवेदनशील है। प्रदेश भर के 67.50 लाख वृद्धजनों को सुगमता से 1000 रुपये प्रतिमाह की पेंशन दी जा रही है। बेहतर समन्वय और तत्परता के साथ कार्य करने वाले टॉप–10 जनपदों का प्रदर्शन अत्यंत सराहनीय है।

–असीम अरुण, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), समाज कल्याण विभाग

सम्पर्क सूत्र– आशिया खातून

राघवेन्द्र / 02:55 PM

फोन नम्बर Direct : 0522–2239023 ई0पी0बी0एक्स0: 0522–2239132,33,34,35 एक्सटेंशन : 223 224 225
फैक्स नं0 : 0522–2237230 0522–2239586 ई–मेल : upsoochna@gmail.com,
वेबसाइट :www.information.up.gov.in